स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। चढ़ गई। स्थानीय बुद्धिजीवियों का कहना है बीच प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है।

बिहार सरकार

जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत औरंगाबाद जिला में संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास औरंगाबाद में शैक्षणिक सत्र 2026–27 में नामांकन लिया जाना है।

उक्त छात्रावास में रिक्तियों के विरुद्ध **पुनः नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक– 22.06.2026 से दिनांक– 21.07.2026 तक ऑनलाइन** के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। नामांकन हेतु इच्छुक छात्र **bcebconline.bihar.gov.in** पर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद में प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10:00 बजे से अपराह 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में नामांकन की शर्तें (कुल रिक्त सीट–18)	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावस में नामांकन की शर्तें (कुल रिक्त सीट–100)
1. आवेदक अति पिछड़ा वर्ग का छात्र हो।	1. आवेदक पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का छात्र हो।
2. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।	2. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
3. आवेदक औरंगाबाद जिला स्थित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।	3. आवदक औरंगाबाद जिला स्थित किसी सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4. आवेदक न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण हो।	4. आवदक न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण हो।
5. अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायगी।	5. अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. 5 प्रतिशत सीट दिव्यांग छात्रों हेतु आरक्षित रहगी।	6. 5 प्रतिशत सीट दिव्यांग छात्रों हेतु आरक्षित रहेगी।

छात्रों को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएँ

1. निःशुल्क आवास सुविधा।
2. सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं रसोइया की व्यवस्था।
3. विद्युत सुविधा, पंखा, बल्ब, साइलेंट जनरेटर, सी.सी.टी.वी. एवं Wifi सुविधा।
4. भौतिक एवं डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी पुस्तकें, मासिक पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार पत्र।
5. खेलकूद सामग्री की सुविधा।
6. शुद्ध पेयजल की सुविधा।
7. प्रति छात्र प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (09 किलोग्राम चावल एवं 06 किलोग्राम गेहूँ)।
8. प्रति छात्र प्रति माह ₹2000/– छात्रावास अनुदान का लाभ।

आवेदन की प्रक्रिया

1. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (02 प्रति)।
4. वैध जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
5. औरंगाबाद जिला स्थित शिक्षण संस्थान में नामांकन संबंधी प्रमाण–पत्र।
6. आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।
7. विगत परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति।
8. बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं IFSC काड सहित)।
9. छात्रावास मं अनुशासन पालन संबंधी शपथ–पत्र।

नाटः– त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा।

PR. No. 006414 (Welfare) 2026-27

जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

रक्त की आवश्यकता पड़ने पर लाईसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों से ही रक्त प्राप्त करें।